:: कार्यवाही विवरण ::

डांग क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत सम्बन्धित जिलों की वर्ष 2016–17 की वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन हेतु माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय डांग क्षेत्रीय विकास मण्ड़ल की बैठक दिनांक 08.06.2016 को प्रातः 11.00 बजे कान्फ्रेन्स कक्ष, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में आहूत की गई जिसमें उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण की सूची संलग्न है ।

1. सर्वप्रथम उपस्थित सदस्यों का स्वागत एवं परिचय के पश्चात जिलों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना एवं डांग योजना के दिशा–निर्देशों के बारे में पॉवर पाइन्ट प्रजेन्टेशन दिया गया । अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सभी विधायकों से वार्षिक कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की गई एवं सुझाव आमन्त्रित किये गये । श्री रमेश मीणा, विधायक एवं श्री मनोज राजोरिया, सांसद द्वारा करौली जिले से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हेरफेर एवं फेरबदल करने का आरोप लगाया गया एवं वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में नहीं कराया जाना बताया। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में गम्भीर नाराजगी जाहिर करते हुए जाँच कराने के निर्देश दिये एवं सम्बन्धित जन प्रतिनिधियों से पुनः डांग योजना में प्रस्ताव लेते हुये संशोधित वार्षिक कार्य योजना भेजने के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, करौली को निर्देश दिये गये ।
2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि द्वारा अवगत कराया गया कि डांग योजना में शामिल 8 जिलों में से सिर्फ बांरा, बूंदी एवं झालावाड़ जिलों की वार्षिक कार्य योजना महात्मा गांधी नरेगा योजना से कन्वर्जेन्स किया गया है । इस बाबत् राज्य स्तर से 25 फरवरी 2016 को स्पष्ट निर्देश दिये गये थे । श्री रमेश मीणा, विधायक एवं श्री मनोज राजोरिया, सांसद द्वारा मांग की गई कि कन्वर्जेन्स के बारे में सभी पहलूओं की जानकारी जनप्रतिनिधियों को नहीं है, अतः इस बाबत् एक दिन की वर्कशॉप का आयोजन जिला स्तर पर किया जावे । प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि द्वारा इस सम्बन्ध में सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को शीघ्र वर्कशॉप आयोजित करने के निर्देश दिये गये एवं सभी जिलों द्वारा वार्षिक कार्य योजना में शामिल अनुमत कार्यो का महात्मा गांधी नरेगा योजना से कन्वर्जेन्स करते हुए पुनः वार्षिक कार्य योजना 3 दिवस में भिजवाने के निर्देश दिये गये । जो कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजना से अनुमत है उन्हें महात्मा गांधी नरेगा योजना में स्वीकृत किया जावे एवं अतिरिक्त सामग्री मांग की पूर्ति डांग योजना से किए जाने के निर्देश दिये गये ।
3. उपस्थित विधायकों द्वारा सीसी रोड़ के साथ सोलर लाईट, हैडपम्प मय सोलर उपकरण एवं अन्य कार्यो को प्राथमिकता से लेने की मांग की गई साथ ही योजना में स्वीकृत कार्यो का गुणवत्ता निरीक्षण नियमित तौर पर कराये जाने पर जोर दिया । शासन सचिव, ग्रावि द्वारा अवगत कराया गया कि वार्षिक कार्य योजना पंचायती राज संस्थाओं द्वारा तैयार की जाती है एवं अनुमत कार्यो को वार्षिक कार्य योजना में शामिल करने के लिये संस्थाऐं पूरी तरह से स्वतन्त्र है । निर्माण कार्यो के निरीक्षण के लिये राज्य/जिला स्तर से थर्ड पार्टी निरीक्षण दल की व्यवस्था लागू है । साथ ही किसी जिले विशेष में शिकायत होने पर अथवा आवश्यक होने पर राज्य स्तरीय टीम भेजकर भी जाँच कराई जा सकती है ।
4. शासन सचिव, ग्रावि द्वारा हैडपम्प, बोरिंग तथा सामुदायिक भवन निर्माण इत्यादि कार्यो का उपयोग सामुदायिक रूप से हो न कि व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिये, इस बात पर जोर देते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इस बाबत् सुनिश्चितता करने के निर्देश दिये। अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य स्तर पर आरक्षित 20 प्रतिशत राशि का उपयोग मुख्यमंत्री जल